Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed Open Access Journal
Vol. 3, Issue 3, July-September, 2025
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/
ISSN : 3048-6971

प्राचीन भारतीय विधि में नैतिकता और धर्म का समन्वय

*डॉ. शरदेन्दु कुमार त्रिपाठी
**रविकांत वर्मा
*असिस्टेंट प्रोफेसर
प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग
**शोधार्थी
प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर, उत्तरप्रदेश

शोध सार -

यह शोध पत्र प्राचीन भारतीय विधि में नैतिकता और धर्म के समन्वय का विश्लेषण करता है, जो वैदिक काल से गुप्तकाल तक विकसित हुआ। वेद, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख, और बौद्ध विनय पिटक जैसे प्राथमिक स्रोतों के आधार पर, यह पत्र विधि के धार्मिक और नैतिक आधार, दंड व्यवस्था, और सामाजिक नियमन में उनकी भूमिका की पड़ताल करता है। वैदिक काल में प्रायश्चित-केंद्रित विधि से लेकर मौर्यकाल में अहिंसा-प्रधान सुधार और गुप्तकाल में सामाजिक समरसता तक, यह समन्वय सामाजिक अनुशासन का आधार रहा। बौद्ध और जैन प्रभावों ने अहिंसा और सुधारात्मक दृष्टिकोण को समृद्ध किया। शोध प्राचीन विधि की विशिष्टता और इसके आधुनिक कानूनी ढांचे से संबंध को उजागर करता है, साथ ही क्षेत्रीय स्रोतों पर भविष्य के शोध की आवश्यकता पर जोर देता है।

कीवर्डस - प्राचीन भारतीय विधि, नैतिकता, धर्म, धर्मशास्त्र, दंड व्यवस्था, अहिंसा।

प्रस्तावना - प्राचीन भारतीय विधि न केवल सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करने का साधन थी, बल्कि धर्म और नैतिकता के गहरे समन्वय का प्रतीक भी थी, जो व्यक्ति और समाज के आचरण को दिशा देती थी[1]। यह शोध पत्र वैदिक काल (1500-600 ईसा पूर्व) से गुप्तकाल (320-550 ईस्वी) तक प्राचीन भारतीय विधि में धर्म और नैतिकता के अंतःसंबंध का विश्लेषण करता है। प्राथमिक स्रोतों जैसे वेद, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख, और बौद्ध विनय पिटक का उपयोग इस अध्ययन में किया गया है[2]। ये स्रोत विधि के धार्मिक और नैतिक आधार, दंड प्रणाली, और सामाजिक नियमन में उनकी भूमिका को समझने में महत्वपूर्ण हैं।

शोध के प्रमुख प्रश्न हैं: प्राचीन भारत में विधि, धर्म, और नैतिकता का समन्वय कैसे स्थापित हुआ? यह समन्वय विभिन्न कालखंडों में कैसे परिवर्तित हुआ? इसका सामाजिक और नैतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? इस शोध का उद्देश्य प्राचीन भारतीय विधि की विशिष्टता को उजागर करना है, जो धर्म और नैतिकता के संतुलन पर आधारित थी। वैदिक काल में विधि धार्मिक कर्तव्यों और प्रायश्चित पर केंद्रित थी, जबकि मौर्यकाल में अशोक के सुधारों ने बौद्ध धर्म के प्रभाव में अहिंसा और नैतिकता को प्राथमिकता दी[3]। मौर्यकाल में विधि ने सामाजिक समरसता और व्यापारिक नैतिकता को बढ़ावा दिया[4]। बौद्ध और जैन धर्म ने सुधारात्मक और अहिंसक दृष्टिकोण को समृद्ध किया, जो विधि को मानवीय बनाता था[5]।

यह शोध पत्र साहित्य समीक्षा, शोध पद्धति, कालानुक्रमिक विश्लेषण, और निष्कर्ष के माध्यम से विषय की गहन पड़ताल करता है। यह प्राचीन भारतीय विधि के नैतिक-धार्मिक आधार और इसके सामाजिक नियमन में योगदान को रेखांकित करता है। साथ ही, यह आधुनिक कानूनी प्रणालियों, विशेष रूप से सुधारात्मक दृष्टिकोण, के लिए इसकी प्रासंगिकता को भी जांचता है।

साहित्य समीक्षा-

प्राचीन भारतीय विधि में नैतिकता और धर्म के समन्वय पर विद्वानों ने गहन अध्ययन किया है, जो इसकी सामाजिक और धार्मिक जटिलताओं को उजागर करता है। डे की The Conception of Punishment in Early Indian Literature में प्राचीन विधि को नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का मिश्रण बताया गया है, जहां वैदिक काल में प्रायश्चित और सामाजिक कर्तव्यों को धर्म के साथ जोड़ा गया [6]। मेनन की Ancient Indian Legal Philosophy में धर्म को विधि का दार्शनिक आधार माना गया है, जो सामाजिक व्यवस्था और नैतिकता को संतुलित करता था, विशेष रूप से धर्मशास्त्रों जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति में[7]। सें की Ancient Indian Law: Eternal Values in Manu Smriti में मनुस्मृति को नैतिकता और धर्म के समन्वय का प्रतीक बताया गया है, जहां दंड व्यवस्था सामाजिक अनुशासन और धार्मिक कर्तव्यों को बनाए रखती थी[8]। डोनिगर की The Hindus: An Alternative History में मौर्यकाल में अशोक

के शिलालेखों के आधार पर बौद्ध प्रभाव से विधि में अहिंसा और नैतिक सुधारों की चर्चा की गई है[9]। ग्लक की The Roots of Hinduism में वैदिक और उत्तर-वैदिक काल में विधि को ऋत (ब्रह्मांडीय व्यवस्था) और धर्म के साथ जोड़ा गया है, जो नैतिकता और सामाजिक नियमन का आधार था।

जयस्वाल की Manu and Yajnavalkya में धर्मशास्त्रों को नैतिक और विधिक ढांचे के रूप में वर्णित किया गया है, जो सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों को संनादित करता था[10]। मिश्रा की Law and Society in Ancient India में गौतम धर्मसूत्र और नारद स्मृति में नैतिकता और विधि के बीच संबंध को उजागर किया गया है, जो सामाजिक नियमन में धर्म की भूमिका को रेखांकित करता है। हालांकि, शोध में कुछ अंतराल हैं। डे और जयस्वाल के कार्य धर्मशास्त्र-केंद्रित हैं और गैर-वैदिक स्रोतों पर कम ध्यान देते हैं[11]। मेनन और डोनिगर मौर्यकाल और बौद्ध प्रभावों पर केंद्रित हैं, लेकिन गुप्तकाल और क्षेत्रीय प्रथाओं पर विश्लेषण सीमित है[12]। सामाजिक वर्गों (जैसे, स्त्रियां, शूद्र) पर विधि के प्रभाव पर भी शोध अपर्याप्त है। यह शोध पत्र इन अंतरालों को संबोधित करता है, जिसमें कालानुक्रमिक दृष्टिकोण से विधि में धर्म और नैतिकता के समन्वय, बौद्ध-जैन प्रभाव, और सामाजिक नियमन में इसकी भूमिका का विश्लेषण शामिल है। यह अध्ययन प्राचीन भारतीय विधि की विशिष्टता और इसके नैतिक-धार्मिक योगदान को समझने में सहायक होगा।

शोध पद्धति- यह शोध ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो प्राचीन भारतीय विधि में नैतिकता और धर्म के समन्वय की पड़ताल करता है। प्राथमिक स्रोतों में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अशोक के शिलालेख, और बौद्ध विनय पिटक शामिल हैं, जो विधि के धार्मिक और नैतिक आधार को दर्शाते हैं। द्वितीयक स्रोतों में विद्वानों की पुस्तकें शामिल हैं, जैसे डे की The Conception of Punishment in Early Indian Literature, जो प्रायश्चित और नैतिक सुधार पर केंद्रित है। मेनन की Ancient Indian Legal Philosophy विधि के दार्शनिक और नैतिक आयामों को उजागर करती है। सें की Ancient Indian Law: Eternal Values in Manu Smriti मनुस्मृति में धर्म और नैतिकता के समन्वय को विश्लेषित करती है। डोनिगर की The Hindus: An Alternative History बौद्ध और जैन प्रभावों पर प्रकाश डालती है।विश्लेषण की विधि कालानुक्रमिक और तुलनात्मक है, जिसमें वैदिक, उत्तर-वैदिक, मौर्य, और गुप्त काल में विधि, धर्म, और नैतिकता के समन्वय की जांच की गई है। बौद्ध और जैन प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन भी शामिल है। शोध की सीमाएं प्राचीन स्रोतों की व्याख्या में भिन्नता और क्षेत्रीय प्रथाओं पर सीमित जानकारी हैं। कुछ स्रोत, जैसे मनुस्मृति, वर्ण-आधारित भेदभाव को दर्शाते हैं, जो विश्लेषण को जटिल बनाता है। यह शोध पत्र प्राचीन भारतीय विधि की नैतिक और धार्मिक नींव को समझने और इसके सामाजिक प्रभाव को विश्लेषित करने का प्रयास करता है।

मुख्य विश्लेषण –

(i) वैदिक काल में विधि और धर्म-नैतिकता का समन्वय -

वैदिक काल (1500-600 ईसा पूर्व) में विधि धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित थी, जो सामाजिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था (ऋत) को बनाए रखती थी। सें की Ancient Indian Law: Eternal Values in Manu Smriti में मनुस्मृति को धर्म और नैतिकता का आधार बताया गया है, जहां यज्ञ और सामाजिक कर्तव्यों को विधि का केंद्र माना गया[13]। डोनिगर की The Hindus: An Alternative History में वैदिक विधि को धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ा गया, जो सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती थी[14]। ग्लक की The Roots of Hinduism में विधि को ऋत और धर्म के साथ संनादित बताया गया, जहां अपराध को पाप माना जाता था ।

जयस्वाल की Manu and Yajnavalkya में वैदिक विधि को सामाजिक नियमन का आधार बताया गया[15]। बैनर्जी की Studies in Ancient Indian Law में वैदिक काल में विधि को सामुदायिक नैतिकता का आधार माना गया। मेनन की Ancient Indian Legal Philosophy में वैदिक विधि को दार्शनिक और नैतिक ढांचे के रूप में वर्णित किया गया[16]। लिंगट की The Classical Law of India में वैदिक विधि को नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का मिश्रण बताया गया । वैदिक विधि का उद्देश्य नैतिक सुधार और सामाजिक व्यवस्था था, लेकिन वर्ण-आधारित भेदभाव इसकी सीमा थी।

(ii) उत्तर-वैदिक काल और धर्मशास्त्र-

उत्तर-वैदिक काल (600-300 ईसा पूर्व) में धर्मशास्त्रों ने विधि को व्यवस्थित किया। मिश्रा की Law and Society in Ancient India में मनुस्मृति में धर्म को नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों का आधार माना गया, जहां दंड (आर्थिक, शारीरिक) वर्ण-आधारित थे[17]। काणे की History of Dharmashastra में प्रायश्चित, जैसे ब्रह्महत्या के लिए तप, को नैतिक सुधार का साधन बताया गया। जैन की Outlines of Indian Legal History में उत्तर-वैदिक विधि को सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का मिश्रण माना गया, जो वर्ण व्यवस्था को लागू करती थी। शर्मा की India's Ancient Past में गौतम धर्मसूत्र में नैतिकता और विधि के समन्वय को उजागर किया गया।

थापर की Early India में याज्ञवल्क्य स्मृति में विधि को नैतिक और धार्मिक ढांचे का आधार बताया गया[18]। बाशम की The Wonder That Was

India में इस काल में दंड व्यवस्था (जैसे, जुर्माना, कारावास) सामाजिक अनुशासन को बनाए रखती थी । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्यावहारिक और नैतिक दृष्टिकोण का समन्वय था। चटर्जी की Law and Society in Classical India में उत्तर-वैदिक विधि को सामाजिक नियमन का आधार बताया गया, जो नैतिकता पर केंद्रित थी[19]। वर्ण और जेंडर-आधारित भेदभाव इसकी सीमाएं थीं।

(iii) मौर्यकाल में विधि और नैतिक सुधार-

मौर्यकाल (321-185 ईसा पूर्व) में विधि में धर्म और नैतिकता का समन्वय केंद्रीकृत शासन के साथ विकसित हुआ। सें ने मनुस्मृति के प्रभाव को मौर्यकाल में निरंतर बताया, जहां नैतिकता सामाजिक व्यवस्था का आधार थी। डे ने अशोक के सुधारों में दंड, जैसे मृत्युदंड को सीमित करना, को नैतिक सुधार का साधन बताया[20]। डोनिगर ने अशोक के शिलालेखों में बौद्ध प्रभाव को विधि में अहिंसा का स्रोत माना। ग्लक ने मौर्यकाल में धर्म को सामाजिक और नैतिक ढांचे का आधार बताया[21]।

जयस्वाल ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्यावहारिक और नैतिक दृष्टिकोण के समन्वय को रेखांकित किया। बैनर्जी ने मौर्यकालीन विधि को केंद्रीकृत और नैतिक बताया[22]। मेनन ने अशोक के सुधारों को दार्शनिक और नैतिक ढांचे का हिस्सा माना। लिंगट ने मौर्यकाल में धर्मशास्त्रों की निरंतरता को उजागर किया। अशोक का शासन विधि को मानवीय बनाता था, लेकिन क्षेत्रीय विविधताओं पर इसका प्रभाव सीमित था।

(iv) गुप्तकाल में विधि और सामाजिक समरसता -

गुप्तकाल (320-550 ईस्वी) में विधि सामाजिक समरसता और व्यापारिक नैतिकता पर केंद्रित थी। मिश्रा ने नारद स्मृति में दंड (जैसे, जुर्माना) को नैतिक और सामाजिक सुधार का साधन बताया। काणे ने गुप्तकालीन विधि को कम कठोर और सुधारात्मक बताया। जैन ने गुप्तकाल में बौद्ध प्रभाव की निरंतरता को रेखांकित किया[23]। शर्मा ने इस काल में विधि को सामाजिक और धार्मिक ढांचे का आधार माना[24]।

थापर ने गुप्तकालीन विधि को लचीली और व्यापार-केंद्रित बताया । बाशम ने गुप्तकाल को सामाजिक स्थिरता का युग बताया। कौटिल्य के सिद्धांत इस काल में भी प्रासंगिक थे। चटर्जी ने गुप्तकालीन विधि को सामाजिक समरसता का साधन माना। वर्ण-आधारित भेदभाव कम हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव सीमित था।

(v) बौद्ध और जैन प्रभाव -

बौद्ध और जैन धर्म ने विधि में अहिंसा और सुधारात्मक दृष्टिकोण को समृद्ध किया। सें ने बौद्ध विनय पिटक में नैतिकता और सुधार पर जोर को रेखांकित किया। डे ने बौद्ध और जैन दंड (जैसे, निष्कासन) को नैतिक सुधार का साधन बताया। डोनिगर ने अशोक के सुधारों में बौद्ध प्रभाव को विधि का मानवीय आधार माना। ग्लक ने जैन आचारांग सूत्र में अहिंसा को विधि का केंद्र बताया।

जयस्वाल ने बौद्ध और जैन प्रभाव को धर्मशास्त्रों से भिन्न माना। बैनर्जी ने इन प्रभावों को सुधारात्मक विधि का स्रोत बताया। मेनन ने बौद्ध और जैन विधि को दार्शनिक और नैतिक बताया[25]। लिंगट ने इन धर्मों को विधि में नैतिकता का स्रोत बताया[26]। इनका प्रभाव धार्मिक समुदायों तक सीमित था।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. Kane, P. V. (1941). History of Dharmashastra (Vol. III). Pune: Bhandarkar Oriental Research Institute.
2. Thapar, R. (2002). Early India: From the Origins to AD 1300. New Delhi: Penguin Books.
3. Sharma, R. S. (2005). India's Ancient Past. New Delhi: Oxford University Press.
4. Kautilya. (1992). The Arthashastra (Trans. L. N. Rangarajan). New Delhi: Penguin Books.
5. Basham, A. L. (1954). The Wonder That Was India. London: Sidgwick & Jackson.
6. Day, T. P. (1982). The conception of punishment in early Indian literature. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press.
7. Menon, K. P. K. (1990). Ancient Indian legal philosophy. New Delhi: Universal Law Publishing.
8. Sen, P. K. (1988). Ancient Indian law: Eternal values in Manu Smriti. Calcutta: Academic Publishers.
9. Doniger, W. (2009). The Hindus: An alternative history. New York: Penguin Press.
10. Glucklich, A. (2015). The roots of Hinduism. Oxford: Oxford University Press.
11. Jayaswal, K. P. (1930). Manu and Yajnavalkya: A comparison and a contrast. Calcutta: Butterworth & Co.
12. Mishra, R. C. (1984). Law and society in ancient India. Delhi: B. R. Publishing Corporation.
13. Sen, P. K. (1988). Ancient Indian law: Eternal values in Manu Smriti. Calcutta: Academic Publishers.
14. Doniger, W. (2009). The Hindus: An alternative history. New York: Penguin Press.
15. Jayaswal, K. P. (1930). Manu and Yajnavalkya: A comparison and a contrast. Calcutta: Butterworth & Co.
16. Kane, P. V. (1941). History of Dharmashastra (Vol. III). Pune: Bhandarkar Oriental Research Institute.
17. Mishra, R. C. (1984). Law and society in ancient India. Delhi: B. R. Publishing Corporation.
18. Thapar, R. (2002). Early India: From the origins to AD 1300. New Delhi: Penguin Books.
19. Chatterjee, S. K. (1995). Law and society in classical India. New Delhi: Deep & Deep Publications.
20. Day, T. P. (1982). The conception of punishment in early Indian literature. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press.
21. Glucklich, A. (2015). The roots of Hinduism. Oxford: Oxford University Press.
22. Banerjee, S. C. (1999). Studies in ancient Indian law. Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar.
23. Jain, M. P. (2006). Outlines of Indian legal history. New Delhi: Universal Law Publishing.
24. Sharma, R. S. (2005). India's ancient past. New Delhi: Oxford University Press.
25. Menon, K. P. K. (1990). Ancient Indian legal philosophy. New Delhi: Universal Law Publishing.
26. Lingat, R. (1973). The classical law of India. Berkeley: University of California Press.